



Neutral Citation Number– 2026:AHC:56433

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या-8754/2026

शाहिद

.....आवेदक/आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी/विपक्षीगण

आवेदक/आवेदकगण के अधिवक्ता

: मोहम्मद नौशाद

विपक्षी/विपक्षीगण के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्याय कक्ष संख्या-69

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. इस मामले की सुनवाई दिनांक 16.03.2026 को हुई थी। उस तारीख को, इस न्यायालय ने यह पाया कि अधिवक्ता ने दिनांक 25.02.2026 को ई-मेल के जरिए शासकीय अधिवक्ता को जमानत आवेदन का नोटिस भेजा था, लेकिन शासकीय अधिवक्ता के दफ्तर ने, मुद्रित सामग्री लेने के बाद, दिनांक 26.02.2026 को जमानत आवेदन संबंधित पैरोकार को सौंप दी थी, और दिनांक 16.03.2026 तक विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता को निर्देश नहीं दिए गए थे। इसलिए, इस न्यायालय ने संयुक्त निदेशक (अभियोजन), उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत होने का निर्देश दिया, और निदेशक (अभियोजन), उत्तर प्रदेश को दृश्य संवाद के जरिए

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रस्तुत होने का निर्देश दिया, ताकि वे न्यायालय की इस बात में सहायता कर सकें कि क्या निर्देशों को प्राप्त करने के लिए जमानत का नोटिस संबंधित पुलिस थाने को ई-मेल के जरिए भेजा जा सकता है।

2. आज, निदेशक (अभियोजन), उत्तर प्रदेश, दृश्य संवाद के जरिए प्रस्तुत हुए, और संयुक्त निदेशक (अभियोजन), उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, स्वयं प्रस्तुत हुए; और उन्होंने यह स्वीकार किया कि ई-मेल के जरिए मिले नोटिस को, हार्ड कॉपी देने के बजाय, निर्देश लेने के लिए ई-मेल के जरिए ही पुलिस स्टेशन भेजा जा सकता है, और निर्देश भी ई-मेल के जरिए ही लिए जा सकते हैं।

3. संयुक्त निदेशक (अभियोजन), उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने यह निवेदन किया कि उनके कार्यालय में कर्मचारियों की कमी है, और यदि अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएं, तो जमानत आवेदनों के नोटिस भेजना तथा ई-मेल के माध्यम से निर्देश प्राप्त करना अधिक सुगम हो जाएगा।

4. निदेशक (अभियोजन), उत्तर प्रदेश ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि जमानत के मामलों में पुलिस से निर्देश लेने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, संयुक्त निदेशक (अभियोजन), उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के कार्यालय को पंद्रह दिनों के अंदर अतिरिक्त कर्मचारी दिया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई कि, अगर जमानत के मामलों में लगे अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ताओं को चार से पाँच आईपैड दिए जाते हैं, तो ई-मेल के जरिए मिले निर्देश और वाद डायरी सीधे अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ताओं को भेजे जा सकते हैं और उनके आईपैड पर मौजूद सॉफ्ट कॉपी से न्यायालय में उनका जिक्र किया जा सकता है। उन्होंने आगे भरोसा दिलाया कि वे राज्य सरकार को अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ताओं को और आईपैड देने के लिए राजी करने की कोशिश करेंगे और न्यायालय को यह भी बताया कि सीसीटीएनएस से डाउनलोड करके पुलिस द्वारा ई-मेल के जरिए वाद डायरी देने की प्रक्रिया इस

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में सुचारु रूप से चल रही है और इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी लागू किया जा सकता है।

5. इसलिए, संयुक्त निदेशक (अभियोजन), उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को यह निर्देश दिया जाता है कि वे संबंधित पुलिस थाने से ई-मेल के माध्यम से वाद डायरी और साथ ही आवश्यक निर्देश प्राप्त करें बशर्ते कि वाद डायरी इतनी अधिक विस्तृत न हो कि उसे ई-मेल से भेजना संभव न हो और वाद डायरी प्राप्त होने के बाद, उसे ई-माध्यम से संबंधित अपर शासकीय अधिवक्ता को अग्रेषित कर दिया जाए, ताकि माननीय अपर शासकीय अधिवक्ता जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय में उसका संदर्भ दे सकें।

6. मामले के गुण-दोष पर आते हुए, मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद नौशाद की ओर से उपस्थित श्री नूर अहमद, अधिवक्ता; तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-। श्री पंकज सक्सेना को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

7. यह तत्काल जमानत आवेदन, वाद अपराध संख्या-240/2024 (बी.एन.एस. की धारा-305, 331(4), 317(2) के तहत; पुलिस थाना- खेकड़ा, जिला- बागपत में, मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक का नाम एफ.आई.आर. में नहीं था। बाद में, वाहन के कुछ कल-पुर्जे की बरामदगी के आधार पर, आवेदक को सह-आरोपी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया; हालाँकि एफ.आई.आर. में सी.सी.टी.वी. चित्रण का जिक्र है, लेकिन चोरी करते समय सी.सी.टी.वी. चित्रण में दिखे व्यक्ति के रूप में आवेदक की पहचान नहीं की गई है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक ने अपने चार मामलों के आपराधिक इतिहास के बारे में स्पष्टीकरण दिया है। इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि इस मामले में आरोपपत्र

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दाखिल कर दिया गया है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह दिनांक 12.08.2024 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

9. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत आवेदन का विरोध किया, लेकिन ऊपर बताए गए तथ्य पर कोई तर्क-वितर्क नहीं कर सके।

10. मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए; साथ ही जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को दृष्टिगत रखते हुए; और **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038 में रिपोर्ट किया गया** के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधिदेश पर विचार करते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना मैं इस मत का हूँ कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

11. उपर्युक्त अपराध में शामिल आवेदक **शाहिद** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने प्रकट करने से रोका जा सके, अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



iii. जमानत पर रिहा होने के बाद, आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा और न ही कोई अपराध करेगा।

iv. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।

12. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

13. आवेदक और जमानतदारों की पहचान, हैसियत और निवास के प्रमाण की पुष्टि संबंधित न्यायालय द्वारा, बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व की जाएगी।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए इस आदेश की प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किया जाएगा; साथ ही, यह वचन दिया जाएगा कि आदेश की प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

15. यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय, आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए, जमानत आदेश प्रबंध प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजे।

16. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह **पॉलिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जो कि 'इन रे: सुओ मोटो रिट पिटीशन (आपराधिक) संख्या 4, 2021 के तहत दिनांक **31.01.2023** को तय किया गया था और (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में रिपोर्ट किया गया है इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पटल द्वारा आवेदक को भेजे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

19 मार्च, 2026

एस.ए .

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”